

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-37/2007 (II)-

/कृ०, पटना, दिनांकमई, 2015

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री रंजीत सिन्हा,
मेसर्स नागार्जुना एग्रीकेम लिमिटेड,
201/बी० द्वितीय तल, सरोज टावर,
जमाल रोड़, पटना-1

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 145 दिनांक 25.10.2007 एवं 173 दिनांक 07.07.2008 का नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन, कोषागार चालान एवं अन्य संगत कागजातों एवं सहायक निदेशक, पौ० सं०, सर्वेलेन्स मुख्यालय, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों से संबंधित बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 145 दिनांक 25.10.2007 एवं 173 दिनांक 07.07.2008 का नवीकरण 31.12.2016 तक किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम	क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Acephate 75% SP	17	Mancozeb 75% WP
2	Acetamiprid 20% SP	18	Mancozeb 64% + Metalaxyl 8% WP
3	Atrazine 50% WP	19	Myclobutanil 10% WP
4	Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP	20	Paraquat Dichloride 24% SL
5	Carbendazim 50% WP	21	Pretilachlor 50% EC
6	Carbofuran 3% CG	22	Pretilachlor 30.7% EC
7	Cartap Hydrochloride 4% GR	23	Profenofos 50% EC
8	Cartap Hydrochloride 50% SP	24	Profenofos 40% + Cypermethrin 4% EC
9	Chlorpyrifos 20% EC	25	Propiconazole 25% EC
10	Coper oxychloride 50% WP	26	Tricyclazole 75% WP
11	Dichlorvos 76% EC	27	Triazophos 40% EC
12	Hexaconazole 5% EC	28	Validamycin 3% L
13	Hexaconazole 5% SC	29	Phorate 10% CG
14	Imidacloprid 17.8% SL	30	Glyphosate 41% SL
15	Lambda Cyhalothrin 2.5% EC	31	Chlorpyrifos 50% + Cypermethrin 5% EC
16	Lambda Cyhalothrin 5% EC		

2-उपरोक्त कीटनाशियों का भंडारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा- मेसर्स नागार्जुना एग्रीकेम लि०, H/O शशिचन्द्र प्रभाकर एवं विजयचन्द्र प्रभाकर, S/O स्व० जयराम साह, मसौढ़ी रोड़, बड़ी पहाड़ी (पटना गया सड़क) पटना।

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 145 दिनांक 25.10.2007 एवं 173 दिनांक 07.07.2008 मूल रूप में संलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 225)

/कृ0, पटना, दिनांक .../... मई, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।